उत्तर प्रदेश एसेंशियल सर्विसेज मेन्टिनेंस (निरसन) अधिनियम, 1955*

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1955]

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 21 मार्च, 1955 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 31 मार्च, 1955 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।]

['भारत संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय ने दिनांक 15 अप्रैल, 1955 ई0 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 21 अप्रैल, 1955 ई0 को प्रकशित हुआ।]

एसेंशियल सर्विसेज (मेन्टिनेंस) आर्डिनेंस, 1941 को, जहां तक उत्तर प्रदेश में उनकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, निरस्त करन का

अधिनियम

एसेंशियल सर्विसेज (मेन्टिनेंस) आर्डिनेन्स, 1941 को, जहां तक उत्तर प्रदेश से उसकी प्रवृत्ति का संबंध है, निरस्त करना आवश्यक है ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है–

संक्षिप्त शीर्षनाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एसेंशियल सर्विसेज मेन्टिनेंस (निरसन) अधिनियम, 1955 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

निरसन (Repeal)

2–(1) एसेंशियल सर्विसेज (मेन्टिनेंस) आर्डिनेन्स, 1941 का उतना भाग, जिसका संबंध ऐसे विषयों में हो, जिनके विषय में उत्तर प्रदेश के लिये विधियों के निर्माण करने का अधिकार राज्य विधान मंडल को प्राप्त है और संसद को नहीं, निरस्त (Repeal) किया जायगा और एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

———

* उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 16 मार्च, 1955 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।